

राजस्थान लोक अदालत अभियान "व्याय आपके द्वार" वर्ष-2018
 राजस्थान समाधान शिविर/लोक अदालत/केम्प कोर्ट्स
राजस्थान लोक अदालत अभियान
व्याय आपके द्वार 2018
 (देखिए धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956)

6/2018
 5/6/18

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
 मसूदा

विषय:- जमाबन्दी खाता 117 में इन्द्राज दुरुस्ती के क्रम में।
 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डुलीकेडा की जमाबन्दी में खाता संख्या 117 पर आवेदक का नाम सुभाष चण्डिका सुभाष सुभाष 5885 जयकि आवेदक का सही नाम है अतः आवेदक के खाते में सही नाम दर्ज करवाने को कृपा करावें।
 सलह:- साक्ष्य दरतावेज 8 B E

सरवडा

हस्ताक्षर गवाह मय नाम

प्रार्थी के हस्ताक्षर

जांच रिपोर्ट

महोदय,
 रिकार्ड जमाबन्दी सम्यत् 2070-73 ग्राम डुलीकेडा के खाता संख्या 117 में प्रार्थी सुभाष चण्डिका सुभाष सुभाष 5885 जाति/प्रविष्टि 5 B B 5 दर्ज है इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि 8 B E सही करवाना चाहता है मैंने इसकी जांच करली है। प्रस्तावित प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित जाति/नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का राज हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक राज नायब तहसीलदार

क्रमांक भू.अ. 2018/11 कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) मसूदा जिला अजमेर दिनांक 8-6-18
 मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी सुभाष चण्डिका सुभाष सुभाष 5885 जाति निवासी राज नाम/जाति/प्रविष्टि 8 B E मुताबिक रिकार्ड 5 B B 5 दर्ज है जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर 8 B E दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज०

क्रमांक/ रीडर/18/192 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर दिनांक 8-6-18
 तहसीलदार मसूदा/बिजयनगर की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री सुभाष चण्डिका सुभाष सुभाष 5885 स्वीकृति आदेश जाति डुलीकेडा निवासी डुलीकेडा का नाम/जाति/प्रविष्टि 8 B B 5 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत 8 B E के स्थान पर 8 B E दुरुस्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

मसूदा (अजमेर)
उपखण्ड अधी. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

